न्यायालय :— विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

(समक्ष :— इन्दु कान्त तिवारी)

CNR No.MP680100-41062025	Registration No.SC/24/2025
	CNR No.MP680100-41062025
	Filing No.SC/3240/2025
	Filing Date 07/07/2025

प्रारूप—घ

पुलिस थाना—शाहपुर, जिला—बुरहानपुर (म.प्र.) के अपराध क्र.—276/2025 अंतर्गत धारा 137(2), 87, 64(2)(एम), 64(2)(जे), 65(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3/4(2), 5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से उद्भूत विशेष प्रकरण।

अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र शाहपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व अभियोजन द्वारा	श्री श्याम परमार एडीपीओ/विशेष लोक अभि.
— वि रू द्ध —	
अभियुक्त	शिवाजी पिता हीरामन महाजन, उम्र—25 वर्ष, निवासी—वार्ड नंबर 15 कोदरी, थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व अभियुक्त द्वारा —	श्री जितेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता।

(निर्णय)

(आज दिनांक— 13 / जुलाई / 2026 को घोषित)

1. अभियुक्त शिवाजी के विरूद्ध धारा 137(2), 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 65(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों

का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 13.04.2025 को 7:00 बजे से 7:20 बजे के मध्य फरियादिया का घर कोदरी अंतर्गत थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत 16 वर्ष से कम आयु की बालिका/अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर व्यपहरण कारित कर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता/संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध करने के लिए या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए उक्त बालिका/अभियोक्त्री का उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना व्यपहरण या अपहरण कर उस पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उसे शाहपुर से बस में बिठाकर बुरहानपुर एवं बुरहानपुर से ट्रेन में बिठाकर मुम्बई ले जाकर उसके साथ उसकी ईच्छा के विरूद्ध एवं सम्मति के बिना एक से अधिक बार सम्भोग कर बलात्संग किया एवं उक्त बालिका/अभियोक्त्री का व्यवहरण या अपहरण कर उसके साथ एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर ''गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया।

2. न्यायदृष्टांत <u>भूपेंद्र शर्मा विरूद्ध हिमाचल प्रदेश 2003 (8) एससीसी 551</u> व <u>निपुण सक्सेना व अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन सिविल 565/2012</u> मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में एवं <u>धारा 337 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012</u> के अंतर्गत यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि इस मामले की पीड़िता/बालिका उक्त अधिनियम की धारा 2(घ) में यथा परिभाषित की पहचान प्रकट न हो, इस निर्णय में उसके नाम के स्थान पर बालिका अथवा अभियोक्त्री लिखा जावेगा तथा उसके माता–पिता व अन्य निकट संबंधी के नाम के स्थान पर बालिका से उनका रिश्ता व साक्षी क्रमांक का उल्लेख किया जावेगा और अभियोक्त्री के स्कूल का नाम

उल्लेखित न करते हुये विद्यालय उल्लेखित किया जावेगा।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.2025 को अभियोक्त्री की माता ने थाना शाहपुर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि सुबह 7:00 बजे उसकी लड़की घर के पीछे बर्तन साफ कर रही थी, वह आगे के कमरे में थी, थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी लड़की पीछे नहीं थी। उसने आसपास देखा नहीं दिखी तब उसने उसके मामा एवं भाई को फोन लगाया, उन्होंने शाहपुर एवं रिश्तेदारो में तलाश किया कोई पता नहीं चला। उसकी नाबालिक लड़की को कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। बालिका/अभियोक्त्री की माता की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना शाहपुर में अपराध क्रमांक 276/2025 अंतर्गत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) एवं गुम इंसान रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) गुम इंसान क्रमांक 44/2025 लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

4. विवेचना के दौरान घटना स्थल पर जाकर फरियादिया पीड़िता की माता की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शामौका (प्रदर्श पी–3) बनाया गया। अभियोक्त्री के माता–पिता एवं अन्य साक्षियों से पूछताछ कर बताये अनुसार उनके कथन लेखबद्ध किये। अभियोक्त्री को दिनांक 03.05.2025 को आरोपी शिवाजी के कब्जे से दस्तयाब कर दस्तायाबी पंचनामा (प्रदर्श पी–6) बनाया जाकर कथन लेखबद्ध किये गये तथा कथनों की वीडियोग्राफी कराई गई। उक्त वीडियोग्राफी की डीवीडी तैयार करने एवं उसकी शुद्धता के संबंध में धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी–19) एवं (प्रदर्श पी–20) तैयार किये गये तथा ई–साक्ष्य एप के माध्यम से धारा 63(4)(स) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी–21) प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया। अभियोक्त्री के न्यायालय में धारा 183 बीएनएसएस के तहत कथन कराये गये। अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराये जाने हेतु सहमति (प्रदर्श पी–4) प्राप्त की गई तथा आवेदन (प्रदर्श पी–11ए) एवं रक्त नमूना प्रमाणन फार्म (प्रदर्श पी–12) तैयार कर मेडिकल परीक्षण हेतु जिला

अस्पताल बुरहानपुर भेजा गया एवं एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–11) एवं अभियोक्त्री के आर्टिकल जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–10) तैयार किया गया। मेडिकल परीक्षण उपरांत अभियोक्त्री को उसकी माता के सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा (प्रदर्श पी–5) तैयार किया गया। अभियोक्त्री से संबंधित विद्यालय को पत्र (प्रदर्श पी–6ए) जारी कर अभियोक्त्री का दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति (प्रदर्श पी–7सी) एवं पीड़िता का जन्म संबंधी प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी–8) प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया।

5. विवेचना के दौरान अभियुक्त को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श पी–9) तैयार किया जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना (प्रदर्श पी–17) उसके परिवार वालो को दी गई। अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराये जाने हेतु मुलाहिजा फार्म (प्रदर्श पी–13ए) एवं रक्त नमूना प्रमाणन फार्म (प्रदर्श पी–14) तैयार कर मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय बुरहानपुर भेजा गया एवं अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण उपरांत मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–13) के साथ अभियुक्त के आर्टिकल जप्त कर जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी–12ए) तैयार किया गया। विवेचना के दौरान आये कथनों के आधार पर धारा 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 65(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3/4(2), 5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को संयोजित किया गया। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त के मेडिकल परीक्षण उपरांत जप्तशुदा आर्टिकल जांच हेतु ड्राफ्ट (प्रदर्श पी–15) तैयार कर डीएनए परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोग शाला झुमरघाट राउ इंदौर भेजे गये, जिसकी जमा रसीद (प्रदर्श पी–16) प्राप्त की गई। डीएनए परीक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट (प्रदर्श पी–18) प्रकरण में संलग्न की गई तथा अनुसंधान की शेष औपचारिकताएं पूर्ण कर विशेष न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर धारा 137(2), 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम),

65(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा निर्दोषिता का अभिवाक् करते हुए आरोप अस्वीकार किया। बीएनएसएस की धारा 351 के अंतर्गत अभियुक्त के कथन वीसी के माध्यम से उसके अधिवक्ता के समक्ष अंकित कराये गये, अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने इस आशय का कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झुठा फंसाया गया है। अभियुक्त की और से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

7. अभियुक्त के आपराधिक उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि :—

1	क्या घटना दिनांक 13.04.2025 को बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होकर वह अधिनियम की धारा 2(घ) के तहत ''बालक'' की श्रेणी में आती थी ?
2	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 13.04.2025 को 7:00 बजे से 7:20 बजे के मध्य फरियादिया का घर कोदरी अंतर्गत थाना शाहपुर, जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत 16 वर्ष से कम आयु की बालिका/अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाकर व्यपहरण कारित किया ?
3	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता पिता/संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसकी सम्मति के बिना विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध करने के लिए या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते

	हुए उसका व्यपहरण या अपहरण किया ?
4	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना व्यपहरण या अपहरण कर उस पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उसे शाहपुर से बस में बिठाकर बुरहानपुर एवं बुरहानपुर से ट्रेन में बिठाकर मुम्बई लेजाकर उसके साथ उसकी ईच्छा के विरूद्ध एवं सम्मति के बिना एक से अधिक बार सम्भोग कर बलात्संग किया ?
5	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बालिका/अभियोक्त्री का व्यवहरण या अपहरण कर उसके साथ एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर ''गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया ?

–:: निराकरण तथा निष्कर्ष के आधार ::–

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 :–

8. प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(l)/6 के अपराध का आरोप है, उक्त आरोप प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से यह साबित किया जाना आवश्यक है कि घ टना के समय बालिका की आयु 18 वर्ष से कम थी। इसलिये सर्वप्रथम बालिका की आयु का अवधारण किया जाना है तथा यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन यह प्रमाणित कर सका है कि घटना के समय बालिका की आयु 18 वर्ष से कम थी।

9. ***''अधिनियम''*** की धारा 2(1)डी के अनुसार ***''बालक''*** से ऐसा कोई व्यक्ति

अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के बालक होने या न होने संबंधी प्रश्न का अवधारण कारणों को लेखबद्ध करते हुये विशेष न्यायालय द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

10. यह उल्लेखनीय है कि आयु के अवधारण के संबंध में न्यायदृष्टांत जर्नेलसिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2013) 7 एससीसी 263 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित बालक/बालिका की आयु किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 68 के अंतर्गत विरचित किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम, 2007 के नियम 12 के अनुसार अभिनिर्धारित की जानी चाहिए। इसी संबंध में न्यायदृष्टांत महादेव विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2013) 14 एससीसी 637 एवं म.प्र. राज्य विरूद्ध अनूपसिंह 2015 लॉ सूट सुप्रीमकोर्ट 615 अवलोकनीय है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों के पश्चात किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 निरसित हो चुका है तथा दिनांक 15.01.2016 से नवीन ''किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015'' प्रभावी हो चुका है। पुराने नियम 12 के स्थान पर आयु विनिश्चय किये जाने हेतु प्रावधान उक्त नवीन अधिनियम, 2015 की धारा 94 में अधिनियमित किये गये है, इसलिये उपरोक्त विधि के आलोक में बालिका की आयु के विनिश्चय के लिये धारा 94 ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015'' के प्रावधानों की सहायता ली जा सकती है।

12. घटना के समय प्रभावी किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 94 में आयु को विनिश्चय विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, उपलब्ध होने पर सर्वप्रथम उनके आधार पर किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त

विधि के आलोक में बालिका की आयु के संबंध में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार करना होगा।

13. प्रकरण में अभियुक्त पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(l)/6 का आरोप है। उक्त आरोप के लिए अभियोक्त्री की आयु धारा 2(1)(डी) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार प्रमाणित करने के संबंध में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी. 7, सत्यापित प्र.पी. 7सी एवं प्रमाणीकरण प्र.पी. 8 प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में अभियोक्त्री के विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक मोहम्मद जावेदउद्दीन (अ.सा.–3) ने मूल दाखिल खारिज रजिस्टर साथ लाकर कथन किया है कि वह अभियोक्त्री के विद्यालय में (पहचान गोपनीय रखने की दृष्टि से स्कूल के नाम का उल्लेख नहीं किया गया) में वर्ष 2019 से माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। दिनांक 19.04.2025 को स्कूल के प्रधान पाठक अवकाश पर थे या किसी कार्य से बाहर गये थे, प्रधान पाठक का प्रभार उसके पास था। थाना शाहपुर द्वारा पीड़िता से संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पत्र प्र.पी. 6 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं स्कूल की पदमुद्रा लगी है। पीड़िता से संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं अभिलेख अनुसार प्रमाण पत्र पुलिस को प्रदान किया था। मूल दाखिल खारिज रजिस्टर के दाखिल क्रमांक 893 पर पीड़िता का नाम, पीड़िता के माता–पिता का नाम एवं पीड़िता की जन्म तिथि 18.12.2009 अंकित है। मूल रजिस्टर प्र.पी. 7 एवं सत्यापित प्रति प्र.पी. 7सी के ए से ए भाग पर पीड़िता से संबंधित विवरण अंकित होकर बी से बी भाग पर अंको एवं शब्दो में जन्म दिनांक लिखी गई है। उक्त अभिलेख अनुसार पीड़िता की जन्म दिनांक 18.12.2009 होने का प्रमाण पत्र प्र.पी. 8 पुलिस को प्रदान किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

14. सोहनसिंह चौहान, उपनिरीक्षक (अ.सा.–13) का कथन है कि वह दिनांक

13.04.2025 को थाना शाहपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। पीड़िता की उम्र के संबंध में पीड़िता से संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति एवं प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक को लिखा गया पत्र प्रपी–6 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं ए से ए भाग पर स्कूल के प्रधान पाठक के प्राप्ति के रूप में हस्ताक्षर एवं स्कूल की पदमुद्रा लगी है।

15. किसी भी बालक की आयु के सर्वोत्तम साक्षी उसके माता–पिता होते है। अभियोक्त्री की माता (अ.सा.–01) के न्यायालयीन कथन है कि पीड़िता उसकी लड़की है, पीड़िता की उम्र 16 वर्ष होकर कक्षा 8 वीं तक पढ़ी है। अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–05) के न्यायालयीन कथन है कि अभियोक्त्री उसकी लड़की है, पीड़िता की आयु 15 वर्ष होकर कक्षा 5 वीं, 6 टी तक पढ़ी है। अभियोक्त्री स्वयं (अ.सा.–02) के न्यायालयीन कथन है कि उसकी आयु 16 वर्ष होकर वह कक्षा 7 वीं तक पढ़ीलिखी है। पीड़िता का नाना (अ.सा.–04) के न्यायालयीन कथन है कि पीड़िता उसकी नवासी है, पीड़िता की आयु 16 वर्ष होकर शायद कक्षा 8 वीं, 9 वीं तक पढ़ी हुई है। पीड़िता का मामा (अ.सा.–06) के न्यायालयीन कथन है कि पीड़िता रिश्ते में उसकी भांजी लगती है, पीड़िता की आयु 15 साल होगी।

16. पीड़िता की मां अ.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा क्र. 4 में यह स्वीकार किया है कि उसका विवाह 16–17 वर्ष की आयु में हो गया था, पीड़िता उसकी सबसे बड़ी लड़की है और पीड़िता का जन्म उसके विवाह के पश्चात 9 माह में हो गया था, उसके पति की आयु 40 वर्ष से अधिक है, उसकी उम्र उसके पति से 5 वर्ष कम है। इस प्रकार जबकि अभिलेख में पीड़िता का कोई जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। उक्त परिस्थिति में पीड़िता की मां के प्रतिपरीक्षण के तथ्यो के अनुसार घटना के समय उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होने का तथ्य दर्शित हुआ है, उसका विवाह 16–17 वर्ष की आयु होना ओर 09 माह में पीड़िता का जन्म होना स्वीकार किया गया है। उक्त अनुसार घटना के समय पीड़िता की आयु

लगभग 18 वर्ष होने का तथ्य प्रकट हुआ है।

17. पीड़िता के पिता अ.सा. 5 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 3 में स्वीकार किया है कि पूर्व के जमाने में 18 वर्ष की उम्र में निकाह किया जाता था, विवाह के एक वर्ष पश्चात उसकी बड़ी पुत्री पीड़िता का जन्म हो गया था। वर्तमान में पीड़िता के पिता की आयु 40 वर्ष से अधिक होना मां ने स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए पीड़िता की आयु घटना के समय अवयस्क होने के बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण में संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। पीड़िता अ.सा. 2 ने स्वयं प्रतिपरीक्षण की पैरा 6 में स्वीकार किया है कि उसके माता–पिता ने नर्सरी में एडमीशन कराया था उस समय उसकी आयु 7 वर्ष होगी। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षण अधिक विलम्ब से प्रारंभ होने का तथ्य दर्शित होता है। उक्त संपूर्ण परिस्थितियों में पीड़िता की आयु के संबंध में विश्लेषण किया जाना उचित है।

18. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण पत्र अभिलेख में संलग्न नहीं है। दाखिल खारिज रजिस्टर में किस आधार पर जन्म तारीख का उल्लेख किया गया है, इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं हैं जिससे दाखिल खारिज रजिस्टर व प्रमाण पत्र में अभियोक्त्री की जन्म तारीख बताई गई है, वह विश्वसनीय योग्य नहीं है। पीड़िता के माता पिता के प्रतिपरीक्षण के तथ्यो से अवयस्क होना के बिन्दु पर संदेहास्पद परिस्थितियां है। अतः अभियोजन अभिलेख पर प्रस्तुत साक्षियों से पीड़िता के अवयस्क होने के तथ्य को संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है।

19. उक्त संपूर्ण विश्लेषण से अभियोक्त्री के पिता–माता एवं अभियोक्त्री स्वयं के कथनो से अभियोक्त्री के अवयस्क होने के बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण में विरोधाभाषी असंगत एवं संदेहास्पद परस्थितियां है। इस प्रकार पीड़िता के माता–पिता एवं पीड़िता स्वयं के कथनों में पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होने के बिन्दु पर विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

20. अभियोक्त्री के विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक मोहम्मद जावेदउद्दीन

(अ.सा.–3) ने प्रतिपरीक्षण की पैरा क्र. 4 में स्वीकार किया है कि पीड़िता उनकी स्कूल में कक्षा 5 वीं से अध्ययन कर रही थी। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने पीड़िता का एडमीशन कराते समय क्या–क्या दस्तावेज लिये थे वह प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पुरानी स्कूल की टीसी के आधार पर उसने पीड़िता का एडमीशन किया है। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पूर्व की स्कूल में किस आधार पर पीड़िता का एडमीशन किया गया इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि यदि पूर्व स्कूल वालो ने पीड़िता की उम्र के संबंध में अंदाजे से लिखी हो तो वह नहीं बता सकता। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उनके यहा जब पीड़िता एडमीशन के लिए आई थी तब उसकी आयु 13 वर्ष होगी, फिर कहा कि 11 वर्ष रही होगी। इस प्रकार दाखिल खारिज रजिस्टर प्रदर्श पी–7, सत्यापित प्रति प्र.पी. 7सी एवं उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्र.पी. 8 में जो जन्म तिथि लिखी गई है, उसके संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र अथवा आधार नहीं है।

21. शाला प्रविष्टि दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी. 7, सत्यापित प्रति प्र.पी. 7सी एवं प्रमाण पत्र प्र.पी. 8 में अभियोक्त्री की जन्म तारीख किस आधार पर अंकित की गई है, उसका कोई विवरण नहीं है और प्रकरण में पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है, जिससे दर्शित है कि शाला प्रविष्टि पर अभियोक्त्री की जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित किए जाने का उल्लेख नहीं है। उक्त संपूर्ण विश्लेषण से प्रस्तुत शाला प्रविष्टि पर अंकित जन्म दिनांक अभियोक्त्री के माता–पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एवं अभियोक्त्री के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित करना दर्शित नहीं होता है, जिससे प्रस्तुत शाला प्रविष्टि का कोई साक्षिक मूल्य नहीं है।

22. अनुसंधानकर्ता अधिकारी सोहनसिंह चौहान उपनिरीक्षक अ.सा. 13 ने अपने कथनो में जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आशय के कोई कथन नहीं किये है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा ऐसे दस्तावेज यथा ग्राम पंचायत

का जन्म प्रमाण पत्र को निश्चायक रूप से प्रमाणित कर सकता है, अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। शाला रजिस्टर की प्रविष्टि उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में बिना किसी आधार के अंकित होना निष्कर्षित है। अतः उक्त विवेचना में शाला प्रविष्टि के आधार पर निश्चायक रूप से जन्म दिनांक प्रमाणित करने के बिंदु पर साक्ष्य में विरोधाभास एवं विलुप्ति है।

23. धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम) 2015 के अनुसार अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण–

(i)–विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षण बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में,

(ii)–निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र,

(iii)–उपरोक्त 1 व 2 के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा।

24. पीड़िता की आयु के संबंध में न्यायदृष्टांत कुमारशां बर्कडे वि. म.प्र. राज्य, क्रिमिनल अपील नं. 1658/2022 निर्णय दिनांक 23 जुलाई 2025 म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर अन्य न्यायदृष्टांत रोहित अहरियाल वि. म.प्र. राज्य, क्रिमिनल अपील नं. 1661/2025 निर्णय दिनांक 01 अगस्त 2025 म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर, एवं अन्य न्यायदृष्टांत हस्बेण्ड ऑफ द प्रोसीक्यूटर एक्यूस्ड म.प्र. राज्य क्रिमिनल अपील नं. 1203/2025 निर्णय दिनांक 07 मई 2025 म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में प्रतिपादित अभिमत के प्रकाश में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

25. अभिलेख पर पीड़िता की जन्म तिथि के संबंध में तथा संपूर्ण तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता की आयु अवयस्क होना संदेह से परे प्रमाणित करना आवश्यक

है। पीड़िता के शाला अभिलेख में लेख जन्म तिथि के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र अथवा आधार नहीं होने एवं उसके पालक, जन्मदाता के द्वारा भी कोई आयु सुनिश्चित न होने से शाला अभिलेखों पर भी विश्वास किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **विजय उर्फ चीकू आत्मज हरनारायण छारी वि. स्टेट ऑफ एम.पी. पुलिस थाना दतिया क्रिमिनल अपील नंबर 4693/20–21 निर्णय दिनांक 27.03.2023** विशेष रूप से अवलोकनीय है।

26. इस संबंध में **न्यायदृष्टांत सुनिल वि. स्टेट ऑफ हरियाणा, (2010) 1 एससीसी 742** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत प्रतिपादित किया है कि :–

> Bishan, PW 8, the father of the prosecutrix has also not been able to give correct date of birth of the prosecutrix. In his statement he clearly stated that he is giving an approximate date without any basis or record. In a criminal case, the conviction of the appellant cannot be based on an approximate date which is not supported by any record. It would be quite unsafe to base conviction on an approximate date.

27. इस संबंध में न्यायदृष्टांत **संजीव कुमार गुप्ता वि. स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य 2019 एससीसीस ऑनलाईन एससी 926** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है कि स्कूल के रिकार्ड में जन्म तिथि बिना किसी आधारभूत दस्तावेजों में लेख की गई हो तो उसे प्रमाणित या विश्वसनीय होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

28. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत शाला प्रविष्टि एवं अभियोक्त्री के जन्मतिथि प्रमाणीकरण व

प्रमाण पत्र का खंडन अभियोजन साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण के दौरान किया गया है, जिससे प्रस्तुत शाला प्रविष्टि एवं प्रमाण पत्र विश्वसनीय दर्शित नहीं होता है। अतः अभियोजन द्वरा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक 13.04.2025 को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होना साबित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के मूल्यांकन एवं साक्षीगण के कथनों, न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के आधार पर यह साबित नहीं होता है कि अभियोक्त्री की आयु घ टना दिनांक को 18 वर्ष से कम होकर उसकी जन्म दिनांक 18.12.2009 थी।

29. अतः अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री लैंगक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(1)(डी) की परिभाषा के अनुसार अवयस्क थी एवं **''बालक''** की श्रेणी के अंतर्गत आती है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 2 लगायत 5 :–

30. उक्त सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने तथा एक ही साक्ष्य श्रंखला पर आधारित होने के कारण साक्ष्य विश्लेषण की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के आशय से उक्त सभी विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण एक साथ किया जा रहा है।

31. अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ उसकी सहमति के बिना माता–पिता की अनुमति के बिना ले जाकर व्यपहृत कर लैंगिक संबंध स्थापित किए गए। इस संबंध में मुख्यतः पीड़िता सारवान साक्षी है, शेष साक्षी संपोषक साक्षियों की श्रेणियों में है, जिनमें पीड़िता के माता–पिता व अन्य तथा चिकित्सक साक्षी और पीड़िता के शरीर से वैजाईनल स्वाब, प्यूबिक हेयर आदि संकलन करने वाले तथा एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

32. पीड़िता स्वयं अ.सा. 2 ने इस आशय के कथन किए है कि वह अभियुक्त शिवाजी को पहचानती है। घटना वाले दिन 13 तारीख थी वह घर के पीछे बर्तन साफ कर रही थी, शिवाजी महाजन ने उसके पास आकर कहा कि ''उसके साथ

चल वरना उसके भाई को मार देगा।'' उसने कहा कि ''उसके भाई की क्या दुश्मनी है।'' वह अभियुक्त के साथ गई थी, अभियुक्त उसे जलगांव ले गया था, अभियुक्त ने उसके साथ जबरजस्ती की। साक्षी से जबरजस्ती का मतलब पूछने पर बलात्कार करना बताती है। वहां पर अभियुक्त उसे एक रूम में रखा था, उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी तो शिवाजी ने कहा कि ''यहा से भाग नहीं सकते हो।'' वहां पुलिस आई थी उसे एवं शिवाजी को शाहपुर थाने पर लेकर आई थी। पुलिस ने लिखापढ़ी की थी, दस्तायाबी पंचनामा प्र.पी. 6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस उसे मेडिकल परीक्षण हेतु लेकर गई थी, उसने सहमति दी थी, उसका मेडिकल परीक्षण हुआ था। पुलिस उसे कोर्ट में भी बयान के लिए लेकर आई थी, पूर्व में भी उसके कोर्ट में बयान हुवे थे। इसके पश्चात पुलिस ने उसे उसके माता–पिता के सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 5 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

33. अभियोक्त्री की माता अ.सा. 1 के न्यायालयीन कथन है कि वह अभियुक्त शिवाजी को पहचानती है, उनका पड़ोसी है। पीड़िता उसकी लड़की है। घटना तीसरे माह की 13 तारीख की है। पीड़िता बर्तन धो रही थी, वह लेटरिंग में गई हुई थी, लेटरिंग से बाहर निकलकर देखा तो पीड़िता नहीं थी, बर्तन जैसे की वैसे पड़े थे। उसने घर में पीड़िता को ढुंडा, नहीं मिली, नीचे से एक बाई ने आकर कहा कि पीड़िता को शिवा लेकर गया है। वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गई थी, उसने थाने पर रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं गुम इंसान सूचना प्र.पी. 2 लिखाई थी, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी पुलिस को उसने घ टना स्थल दिखाया था, घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता शिवाजी के पास बम्बई में मिली थी, तीन पुलिस वाले ढुंढ़कर लाये थे, उनके साथ उसके मामा एवं दोंनो भाई भी गये थे। पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए पुलिस अस्पताल लेकर गई थी। उसने मेडिकल हेतु सहमति प्र.पी. 4 दी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस

उसकी लड़की पीड़िता को कोर्ट में भी बयान के लिए लेकर गई थी। पीड़िता से संबंधित कार्यवाही हो जाने के पश्चात पुलिस ने पीड़िता को उसके सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 5 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता ने उसे बताया था कि अभियुक्त उसे उज्जैन लेकर गया था, उज्जैन से जलगांव, जलगांव से बुम्बई ले जाना बताया था। पीड़िता ने यह भी बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम भी किया था।

34. पीड़िता की मां अ.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने लड़की को किसी को ले जाते हुवे नहीं देखा था। प्रतिपरीक्षण की पैरा क्र. 6 में स्वीकार किया है कि उसने अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता किसके कब्जे से दस्तयाब हुई थी उसने नहीं देखा था, क्योंकि उसके सामने दस्तयाब नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी पीड़िता के बताये अनुसार कथनकर्ता साक्षी है।

35. अभियोक्त्री के पिता अ.सा. 5 के न्यायालयीन कथन है कि वह आरोपी शिवाजी को पहचानता है, उसका पड़ोसी है। पीड़िता उसकी लड़की है। घटना साक्ष्य तिथि से लगभग तीन माह पूर्व की सुबह 7:00 बजे की है। अभियुक्त शिवा उसकी लड़की पीड़िता को डरा धमकाकर ले गया था। उक्त साक्षी पक्षद्रोही साक्षी रहा है। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न के दौरान इन तथ्यो को स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन पीड़िता सुबह 7:00 बजे घर के पीछे बर्तन साफ कर रही थी, उसकी पत्नी आगे कमरे में थी, थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने देखा तो पीड़िता पीछे नहीं थी। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पीड़िता को आसपास देखा परंतु कहीं नहीं दिखी, उसके बाद उसके मामा एवं भाई को फोन लगाया था। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पीड़िता का रिश्तेदारों में पता किया कोई पता नहीं चला। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी ने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध उसकी पुत्री पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट की थी, स्वतः में व्यक्त किया है कि पता चल गया था शिवा लेकर गया था, डायरेक्ट

रिपोर्ट लिखाई थी। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पीड़िता को शाहपुर पुलिस वाले मुम्बई से आरोपी शिवा के कब्जे से लेकर आये थे। परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके सामने घटना कारित नहीं हुई है इसलिये वह नहीं बता सकता कि घटना कैसे कारित हुई। उक्त साक्षी भी पीड़िता के बताये अनुसार कथनकर्ता साक्षी है।

36. अभियोक्त्री के नाना अ.सा. 4 के न्यायालयीन कथन है कि वह आरोपी शिवाजी को पहचानता है। पीड़िता उसकी नवासी है। घटना साक्ष्य तिथि से लगभग पांच माह पूर्व की है। उसे पता चला था कि पीड़िता को अभियुक्त शिवा उसके घर के पास से लेकर गया था। उसे उसकी भांजी ने फोन करके बताया था कि पीड़िता को अभियुक्त लेकर गया है। मुम्बई में शिवाजी के दोस्त के यहां शिवाजी एवं पीड़िता मिली थी, उन्हें पुलिस मुम्बई से ढुंढ़कर लाई थी। पुलिस ने पंचनामा बनाया था, दस्तायाबी पंचनामा प्र.पी. 6 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु अस्पताल लेकर गई थी। पीड़िता को कार्यवाही होने के बाद उसकी मां के सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 5 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी शिवाजी को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 9 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी भी पीड़िता के बताये अनुसार कथनकर्ता साक्षी है।

37. अभियोक्त्री के मामा अ.सा. 6 के न्यायालयीन कथन है कि वह अभियुक्त शिवाजी को पहचानता है, कोदरी रहता है। पीड़िता रिश्ते में उसकी भांजी लगती है। पीड़िता की मां का फोन आया था और बताया था कि पीड़िता, शिवाजी के साथ गई है। पीड़िता की मां ने यह भी बताया था कि अभियुक्त ने उसे धमकी देकर ले गया है। बाद में पीड़िता अभियुक्त शिवाजी के पास उसके दोस्त के यहा मिली थी। उक्त साक्षी भी पीड़िता के बताये अनुसार कथनकर्ता साक्षी है।

38. दिलीपसिंह, सहायक उपनिरीक्षक अ.सा. 16 ने कथन किए है कि वह

दिनांक 03.05.2025 को थाना शाहपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना शाहपुर के अपराध क्र. 276/2025 अंतर्गत धारा 363 भादवि की केस डायरी पीड़िता की तलाश हेतु थाना प्रभारी के आदेश से प्राप्त हुई थी। पीड़िता की तलाश करने हेतु मय फोर्स के बंजारावाड़ा इंदिर नगर मुंबई पहुंचा, जहां पर मकान नम्बर 1407 में पीड़िता को अभियुक्त शिवाजी के कब्जे से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 6 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके, डी से डी भाग पर अभियुक्त शिवाजी, ए से ए भाग पर पीड़िता एवं बी से बी एवं इ से इ भाग पर साक्षीगण के हस्ताक्षर है। पीड़िता को दस्तयाब करने के पश्चात थाना शाहपुर वापस आये थे।

39. किरण ठाकुर, उपनिरीक्षक अ.सा. 14 ने कथन किए है कि वह दिनांक 04.05.2025 को महिला थाना बुरहानपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 276/2025 अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस में पीड़िता दस्तयाब हुई है, पीड़िता से पूछताछ करना है, थाना शाहपुर में कोई महिला अधिकारी नहीं है। सूचना पर थाना शाहपुर पहुंचने पर उसे उक्त अपराध की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा पीड़िता से पूछताछ की गई थी, पूछताछ के दौरान वीडियोग्राफी करायी गयी। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराये जाने के लिए मेडिकल परीक्षण फार्म प्र.पी. 11ए भरकर जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण के दौरान डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने संबंधी रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्र.पी. 12 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के कथन में कोई भी संदेहास्पद अथवा खंडनकारी परिस्थिति नहीं है।

40. रजनी सोलंकी, महिला आरक्षक अ.सा. 7 ने कथन किए है कि वह दिनांक 04.05.2025 को थाना गणपतिनाका में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना शाहपुर के

अपराध क्र. 276/2025 में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाना है, वहां पर कोई महिला आरक्षक नहीं है। सूचना पर थाना गणपतिनाका के थाना प्रभारी के आदेश से थाना शाहपुर पहुंची। उक्त अपराध की पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर गई थी। मेडिकल परीक्षण के पश्चात अस्पताल से उसे मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक सीलबंद पैकेट में पीड़िता का पेटीकोट, एक सीलबंद पैकेट में प्यूबिक हेयर, एक सीलबंद पैकेट में वैजाईनल स्लाईड, एक सीलबंद पैकेट में रक्त नमूना एवं जिला अस्पताल की नमूना सील प्राप्त हुवे थे, जिन्हे लाकर थाना शाहपुर में सहायक उपनिरीक्षक पुरूषोत्तम विश्वकर्मा को जप्त कराये थे। जप्ती पंचनामा प्र.पी. 10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

41. डॉ. ममता परदेशी अ.सा. 8 ने कथन किए है कि वह दिनांक 04.05.2025 को जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाना शाहपुर से महिला आरक्षक रजनी सोलंकी द्वारा पीड़िता को उसके समक्ष मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण के पूर्व पीड़िता एवं उसकी माता से सहमति प्राप्त की गई थी। परीक्षण में पाया था कि बीपी पल्स तापमान फेपड़े, पेट सभी कुछ सामान्य थे। पीड़िता ने अपनी अंतिम माहवारी मेडिकल परीक्षण से सात दिन पूर्व आना बताया था, इससे पूर्व की माहवारी दिनांक 31.03.2025 होना बताया था। बाहरी परीक्षण में पाया था कि द्वितीय लैंगिक लक्षण पूर्ण रूप से विकसीत थे, प्यूबिक एवं एक्जलरी हेयर कटे हुवे थे, हाईमन झिल्ली अनुपस्थित (ओल्ड रेप्चर्ड) थी। पीड़िता के शरीर पर बाहरी एवं अंदरूनी अंगो पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता को यूपीटी टेस्ट की सलाह दी गई थी। पीड़िता ने हिस्ट्री बताई थी कि दिनांक 13.04.2025 को सुबह 7:00 बजे शाहपुर से शिवा उसके साथ भगाकर मुम्बई रूम पर ले गया था, इस बीच उसने उसके साथ एक दो दिन के आड़ में (बीच में) गलत काम किया। सुबह 3:45 बजे पुलिस उन दोंनो को मुम्बई से बुरहानपुर लाई। बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता। परीक्षण के दौरान पीड़िता की दो वैजाईनल स्लाईड

तैयार की गई, प्यूबिक हेयर प्राप्त किये, गहरा पीले रंग का पेटीकोट प्राप्त किया गया, 3 एमएल ब्लड डीएनए हेतु लिया गया था। उपरोक्त सभी नमूनों को सील साईन कर नमूना सील सहित साथ आये आरक्षक को सौप दिये थे। उसके द्वारा दी गई हस्तलिखित परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर पीड़िता का नाम पता अंकित है। पीड़िता का डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने संबंधी रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्र.पी. 12 तैयार किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में परीक्षण के दौरान नमूना सील संकलन करने का तथ्य प्रमाणित हुआ है। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 एवं रक्त नमूना प्रमाण फार्म प्र.पी. 12 भी सत्यनिष्ठ रहा है।

42. पुरूषोत्तम विश्वकर्मा, सहायक उपनिरीक्षक अ.सा. 11 ने महिला आरक्षक रजनी सोलंकी द्वारा अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण पश्चात एक सीलबंद पैकेट में पीड़िता का पेटीकोट, एक सीलबंद पैकेट में प्यूबिक हेयर, एक सीलबंद पैकेट में वैजाईनल स्लाईड, एक सीलबंद पैकेट में रक्त नमूना एवं जिला अस्पताल की नमूना सील उन्हें जप्त कराये जाने के बिन्दु पर साक्षी महिला आरक्षक रजनी सोलंकी अ.सा. 7 के कथनो की पुष्टि की है।

43. रवि जमरे, आरक्षक अ.सा. 9 ने कथन किया है कि वह दिनांक 04.05. 2025 को थाना शाहपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना शाहपुर के अपराध क्र. 276/2025 में आरोपी शिवाजी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर गया था। जिला अस्पताल से एमएलसी रिपोर्ट के साथ एक सीलबंद पैकेट में अभियुक्त शिवाजी की अंडरवियर, एक सीलबंद पैकेट में सीमन स्लाईड, एक सीलबंद पैकेट में प्यूबिक हेयर, एक सीलबंद पैकेट में ईडीटीए वायल में रक्त नमूना एवं जिला अस्तपाल की नमूना सील प्राप्त हुवे थे, जिन्हें लाकर थाने पर सउनि पुरूषोत्तम विश्वकर्मा को जप्त कराये थे। जप्ती पंचनामा प्र.पी. 12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी. 13 के ए से ए

भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्थिर रहा है, कोई खंडनकारी तथ्य परिस्थिति नहीं आई है।

44. डॉ. छोटुसिंह अ.सा. 10 ने इस आशय के कथन किए है कि वह दिनांक 04.05.2025 को जिला चिकित्साल बुरहानपुर में मेडिकल ऑसिफर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना शाहपुर से आरोपी शिवाजी पिता हीरामन उम्र 24 वर्ष, निवासी कोदरी को मेडिकल परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। आरोपी के लेप्ट हाथ पर टेटु मार्क था जिसे पहचान के रूप में चिन्हित किया था। परीक्षण के दौरान आरोपी होश हवाश में था, उसे व्यक्ति स्थान एवं समय का ज्ञान था। परीक्षण के दौरान पाया था कि आरोपी के द्वितीय लैंगिक लक्षण पूर्ण रूप से विकसीत थे जैसे आवाज, मुछ, दाड़ी के बाल, बगल के बाल, प्यूबिक हेयर, पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस विकसीत थे। केमेस्ट्रिक रिप्लेक्स उपस्थित था। सीमन स्लाईड तैयार की गई, आरोपी की ग्रे कलर की अंडरवियर प्राप्त की गई, प्यूबिक हेयर प्राप्त किये गये, 3 एमएल रक्त नमूना इडीटीए वायल में लिया गया। उपरोक्त सभी नमूनों को नमूना सील सहित सील साईन कर साथ आये आरक्षक को सौप दिया था। परीक्षण के दौरान आरोपी के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। परीक्षण के दौरान ऐसे कोई तथ्य नहीं पाये जिससे यह कहा जा सके कि अभियुक्त सेक्स नहीं कर सकता। उसके द्वारा दी गई हस्तलिखित परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 13 है जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं ए से ए भाग पर साथ आये आरक्षक के हस्ताक्षर है। अभियुक्त का डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने के दौरान रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्र.पी. 14 तैयार किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में डॉक्टर साक्षी स्थिर एवं विश्वसनीय रहा है, कोई खंडनकारी परिस्थिति नहीं आई है। अतः अभियुक्त संभोग करने में सक्षम होने का तथ्य प्रमाणित हुआ है।

45. पुरूषोत्तम विश्वकर्मा, सहायक उपनिरीक्षक अ.सा. 11 ने आरक्षक रवि जमरे अ.सा. 9 द्वारा अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण पश्चात एक सीलबंद पैकेट में

अभियुक्त शिवाजी की अंडरवियर, एक सीलबंद पैकेट में सीमन स्लाईड, एक सीलबंद पैकेट में प्यूबिक हेयर, एक सीलबंद पैकेट में ईडीटीए वायल में रक्त नमूना एवं जिला अस्तपाल की नमूना सील उन्हें जप्त कराये जाने के बिन्दु पर साक्षी रविज जमरे अ.सा. 9 के कथनो की पुष्टि की है।

46. शैलेन्द्र सोलंकी, आरक्षक अ.सा. 12 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 05.05.2025 को थाना शाहपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना शाहपुर के अपराध क्र. 276/2025 में जप्तशुदा नमूनें एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर का एफएसएल ड्राफ्ट प्रयोग शाला में जमा करने हेतु प्राप्त हुआ था, जिन्हें लेकर न्यायालयीक विज्ञान प्रयोग शाला झुमरघाट राउ इंदौर गया था। प्रयोग शाला में ड्राफ्ट प्र.पी. 15 एवं नमूनें जमा किये थे। प्रयोग शाला से उसे जमा रसीद प्र.पी. 16 प्राप्त हुई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी संकलित नमूनों को ड्राफ्ट प्रदर्श पी–15 सहित ले जाकर क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट राउ इंदौर में जमा करना और उसकी जमा रसीद प्रदर्श पी–16 को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी के द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्यवाही की गई है, अतः उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं ला सकी है कि पदीय कर्तव्य से अतिरिक्त कार्य माना जा सके।

47. प्रथम सूचना रिपोर्ट/गुम इंसान रिपोर्ट लेखकर्ता सोहनसिंह चौहान, उपनिरीक्षक अ.सा. 13 ने कथन किया है वह दिनांक 13.04.2025 को थाना शाहपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी पीड़िता की माँ ने उसकी नाबालिक लड़की पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई जाने पर उसके द्वारा थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 276/2025 अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस के तहत रिपोर्ट प्र.पी. 1 दर्ज की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त फरियादी द्वारा पीड़िता के गुम होने की सूचना दर्ज करवाई जाने पर उसके द्वारा गुम इंसान क्रमांक

44/2025 प्र.पी. 2 दर्ज की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल पर जाकर फरियादीया के बताये अनुसार घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं गुम इंसान रिपोर्ट प्र.पी. 2 दर्ज करने का तथ्य प्रमाणित रहा है, ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गुम इंसान रिपोर्ट को फर्जी एवं कूटरचित कहा जा सके।

48. विवेचक/अनुसंधानकर्ता अधिकारी अजयसिंह चौहान, उपनिरीक्षक अ.सा. 15 ने कथन किया है कि वह दिनांक 04.05.2025 को थाना शाहपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 276/2025 अंतर्गत धारा 137(2), 69 बीएनएस एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त शिवाजी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 9 तैयार किया था। गिरफ्तारी की सूचना प्र.पी. 17 अभियुक्त के परिवार वालों को दी गई थी, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त शिवाजी का मेडिकल परीक्षण कराये जाने एवं डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लिए जाने के लिए मेडिकल परीक्षण फार्म प्र.पी. 13 भरकर जिला अस्पताल बुरहानपुर भेजा गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त का डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने संबंधी रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्र.पी. 14 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता से संबंधित कार्यवाही हो जाने के उपरांत पीड़िता को उसकी मॉ के सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 5 तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता की मॉ से अतिरिक्त एवं साक्षी सादिक, आमीन, सैयद सगीर एवं पीड़िता के पिता से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये गये थे।

49. उक्त साक्षी ने आगे यह भी अभिकथन किया है कि अभियुक्त एवं पीड़िता के मेडिकल परीक्षण से जप्तशुदा सीलबंद नमूनें एवं जप्त रक्त नमूनों को

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के एफएसएल ड्राफ्ट क्रमांक 69/2025 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा डीएनए परीक्षण के लिए क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झुमरघाट राउ भेजे गये थे, ड्राफ्ट प्र.पी. 15 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रयोगशाला से जमा रसीद प्र.पी. 16 प्राप्त हुई थी। डीएनए परीक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट प्र.पी. 18 होकर प्रकरण में संलग्न है। पीड़िता से पूछताछ के दौरान करायी गयी वीडियोग्राफी की डीवीडी उसके द्वारा तैयार की गई थी। डीवीडी तैयार करने एवं उसकी शुद्धता के संबंध में धारा 63(4)(ग) भाग–क एवं भाग–ख साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र उसके द्वारा जारी किये गये थे, जो प्र.पी. 19 एवं प्र.पी. 20 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। डीवीडी आर्टिकल ए–1 है। ई–साक्ष्य एप के द्वारा साक्षी पीड़िता की मॉ के कथन का वीडियो तैयार कर अपलोड किया गया था, जिसके संबंध में ई–साक्ष्य एप के माध्यम से धारा 63(4)सी का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, जिसका उसके द्वारा प्रिंट लिया गया था, जो प्र.पी. 21 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर धारा 65(1), 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम) बीएनएस एवं धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया था।

50. पीड़िता के स्त्रोत (प्रदर्श–सी) पेटीकोट से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाईल, आरोपी शिवाजी के स्त्रोत (प्रदर्श–एच) रक्त नमूना से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाईल के समान है। यद्यपि डीएनए रिपोर्ट वैज्ञानिक साक्ष्य होकर यद्यपि विशेषज्ञ के मत की परिधि होती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के स्त्रोत (प्रदर्श–सी) पेटीकोट से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाईल, आरोपी शिवाजी के स्त्रोत (प्रदर्श–एच) रक्त नमूना से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाईल के समान है।

51. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में यह तर्क किया है कि पीड़िता के माता–पिता, नाना एवं मामा यह सभी पीड़िता के बताये अनुसार कथनकर्ता साक्षी है। पीड़िता अ.सा. 2 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि

वह अभियुक्त से 06 माह से फोन से बात किया करती थी तथा प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व के न्यायालयीन कथन में बताया था कि दिनांक 13.04. 2025 को सुबह 4:00 बजे वह अभियुक्त से बात कर रही थी ओर उसकी मां ने उसे बात करते हुवे देख लिया और उसे गाली देने लगी, मारना शुरू कर दिया उसके बाद उसने अभियुक्त को बस स्टाप पर बुलाया था ओर वहां से बस में बैठकर लालबाग चले गये थे। पीड़िता ने पैदल बस ट्रेन से कई जगह यात्रा करते हुए मुम्बई पहुंची है, परंतु उसने कही कभी भी किसी से न तो शिकायत की और ना ही चिल्ला चोट की। धारा 183 बीएनएसएस के कथन में भी पीड़िता ने स्वयं जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण की पैरा 4 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी माता द्वारा समझाया गया है उसी अनुसार आज कथन कर रही है। इस प्रकार पीड़िता परिजनो के दबाव में मिथ्या कथन कर रही है। साक्षी विश्वसनीय एवं स्वभाविक नहीं है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित नहीं है, सहमत पक्षकार है। डीएनए रिपोर्ट के विशेषज्ञ साक्षी से उसे प्रमाणित नहीं कराया गया है। घटना के कई दिन बाद पेटीकोट जप्त करना बताया गया है जो संदेहास्पद है। अभियोजन साक्ष्य संदेहास्पदन है, अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया गया।

52. बचाव पक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता की माता अ.सा. 1, पीड़िता के पिता अ.सा. 5, पीड़िता का नाना अ.सा. 4 एवं पीड़िता का मामा अ.सा. 6 पीड़िता के बताये अनुसार अनुश्रुत साक्षी के साक्ष्य के आधार पर न्यायालयीन कथन दिये है। प्रकरण में पीड़िता अ.सा. 2 की सारवान साक्ष्य अवलोकनीय है।

53. पीड़िता अ.सा. 2 ने यद्यपि न्यायालयीन कथन में इस आशय के कथन किये है कि घटना दिनांक को घटना के समय अभियुक्त ने उसके पास आकर कहा कि उसके साथ चल वरना उसके भाई को मार देगा। वह अभियुक्त के साथ गई थी, अभियुक्त उसे जलगांव लेकर गया उसके साथ बलात्संग किया। अभियुक्त ने उसे एक कमरे मे रखा था उसने वहां से भागने की कोशिश की थी तो अभियुक्त

ने कहा था कि यहा से नहीं भाग सकते हो। पीड़िता ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 5 में स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय में हुवे पूर्व कथन में बताया था कि दिनांक 13.04.2025 को सुबह 4:00 बजे वह मोबाईल से अभियुक्त से बात कर रही थी ओर उसकी मम्मी ने उसे बात करते हुवे देख लिया उसे गाली देने लगी एवं मारना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद उसने अभियुक्त को बस स्टाप पर बुलाया था और वहां से वह दोंनो बैठकर लालबाग चले गये। इस प्रकार घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के घर आकर धमकी देने के परिणामस्वरूप पीड़िता के जाने का खंडन स्वयं पीड़िता के कथन से हो जाता है।

54. पीड़िता के प्रतिपरीक्षण के तथ्यों से यह दर्शित है कि पीड़िता ने अभियुक्त को बस स्टाप पर बुलाया था जिससे निष्कर्षित है कि बस स्टाप पर पीड़िता स्वयं गई थी ओर वहां से दोंनो सार्वजनिक साधन में बैठकर लालबाग चले गये। पीड़िता के कथन अनुसार अभियुक्त उसे जलगांव लेकर गया था। अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्त पीड़िता को उज्जैन, जलगांव ओर वहां से मुम्बई लेकर गया है। इस प्रकार सार्वजनिक मार्ग पर सार्वजनिक साधनों यथा रेल या बस द्वारा कई जगहो की यात्रा की गई है। इस संबंध में पीड़िता ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 4 में स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त के साथ गई थी तब गांव में चिल्लाकर किसी को नहीं बताया, वह ट्रेन से गई तब ट्रेन में भी किसी को नहीं बताया और कोई चिल्लाचोट नहीं की थी। पीड़िता ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 4 में यह स्वीकार किया है कि उसके भाई को मारने की धमकी के बारे में पुलिस थाने में कोई शिकायत नहीं की है। धारा 183 बीएनएसएस के कथन में भी अभियुक्त द्वारा भाई को मारने की धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये है। उक्त संपूर्ण परिस्थितियों में पीड़िता का स्वेच्छया जाना निष्कर्षित है।

55. अभियोजन साक्ष्य अनुसार पीड़िता के मेडिकल के समय उससे संकलित नमूना स्त्रोत वैजाईनल स्लाईड एवं प्यूबिक हेयर में पुरूष (व्हाय) क्रोमोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाईल प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि डीएनए रिपोर्ट के

मुताबित आर्टीकल–सी पीड़िता के पेटीकोट से प्राप्त पुरूष (व्हाय) क्रोमोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाईल प्राप्त हुई जो आरोपी के स्त्रोत आर्टीकल–एच से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाईल के समान है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि पीड़िता घटना दिनांक 13.04.2025 को गई है और दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 6 के अनुसार उसे दिनांक 03.05.2025 को 13:30 बजे नवी मुम्बई से दस्तयाब किया गया है। वहां से लाकर पुलिस थाना में कार्यवाही उपरांत पीड़िता का मेडिकल दिनांक 04.05.2025 को जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में शाम 5:15 बजे कराया गया है। उक्त मेडिकल परीक्षण के समय पीड़िता से गहरा पीले रंग का पेटीकोट प्राप्त करना बताया गया है। डॉ. साक्षी के कथन अनुसार परीक्षण के 7 दिन पूर्व पीड़िता को माहवारी आई थी। इस प्रकार पीड़िता जबकि दो दिन पूर्व मुम्बई में दस्तयाब हुई ओर वहां से पुलिस थाने आकर कार्यवाही करने के उपरांत मेडिकल परीक्षण के समय पेटीकोट नमूना संकलित करने के बिन्दु पर समाधानप्रद स्पष्ट कथन नहीं है।

56. इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **करणदीप शर्मा उर्फ रजिया उर्फ राजु विरूद्ध स्टेट ऑफ उत्तरखंड 2025 आय.एन.एस.सी. 444 एवं क्रिमिनल अपील नं. 330–331/2018 (सुप्रीम कोर्ट) निर्णय दिनांक 04 मार्च 2025** एवं न्यायदृष्टांत **इरफान उर्फ भय्यू मेवाती विरूद्ध म. प्र. राज्य 2025 सुप्रीम (एस.सी.) 272** अवलोकनीय है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डीएनए रिपोर्ट के प्रमाणित होने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किये गये है। उक्त सिद्धांत के अंतर्गत डीएनए रिपोर्ट विशेषज्ञ साक्षी के द्वारा प्रमाणित नहीं है।

57. इस प्रकार सेम्पल कलेक्शन एवं संकलन की प्रक्रिया के संबंध में पीड़िता के कोई कथन नहीं करने से किंचित संदेहास्पद परिस्थितियां उपत्न्न होती है। इस प्रकार पीड़िता के स्त्रोत (प्रदर्श–सी) पेटीकोट से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाईल, आरोपी शिवाजी के स्त्रोत (प्रदर्श–एच) रक्त नमूना से प्राप्त पुरूष (व्हाय)

डीएनए प्रोफाईल के समान होने की डीएनए रिपोर्ट को प्रथमतः उक्त संपूर्ण संदेहास्पद परिस्थितियों में विश्लेषण करना होगा तथापि अग्रिम उल्लेखनीय है कि जबकि अभियोक्त्री अवयस्क होना प्रमाणित नहीं हुई है और उपरोक्त पक्ष में सहमत पक्षकार है, तब उन परिस्थितियों में भी विश्लेषण करना होगा। डॉ. साक्षी ममता परदेशी अ.सा. 08 के कथन अनुसार पीड़िता के परीक्षण किए जाने पर उसके बाहरी एवं आंतरिक शरीर पर कोई चोट न होना, बाहरी परीक्षण में द्वितीय लैंगिक लक्षण पूर्ण रूप से विकसित होना, हायमन झिल्ली अनुपस्थित (ओल्ड रेप्चर्ड) होने से चिकित्सीय रिपोर्ट से भी यह दर्शित नहीं है कि बालिका के साथ जबरदस्ती बलात्संग का कृत्य किया गया था। उक्त संपूर्ण परिस्थितियों में सहमत पक्षकार होने की संभावना दर्शित होती है।

58. धारा 183 बीएनएसएस के कथनो के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **''आर. शाजी विरूद्ध स्टेट ऑफ केरला (2013) 14 एस.एस.सी. 266''** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह स्पष्ट करती है कि धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत लिये गये कथन संपोषक कथनों के रूप में उपयोग में लिये जा सकते है अथवा खंडन के प्रयोजन से उपयोग में लिये जा सकते है। चूंकि बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षण का अवसर धारा 183 बीएनएसएस के कथनों के समय उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त कथन सारभूत साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लिये जा सकते है। इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत का चरण क्र. 28 अवलोकनीय है। अतः उपरोक्त माननीय न्यायदृष्टांत के आलोक में भी उक्त धारा 183 बीएनएसएस के कथनों के आधार पर जबकि बालिका द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है किंतु अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है।

59. पीड़िता स्वयं असा–2, पीड़िता की माता असा–1, पीड़िता के पिता असा–5, पीड़िता का नाना अ.सा. 4 एवं पीड़िता का मामा अ.सा. 6 के प्रतिपरीक्षण

में आई संदेहास्पद परिस्थितियों तथा खंडनकारी कथन किसी निश्चित निष्कर्ष की ओर अनुमान इंगित नहीं करते है। पीड़िता स्वयं के प्रतिपरीक्षण में विरोधाभाषी एवं खंडनकारी कथन से कोई निष्कर्ष अथवा अनुमान नहीं निकाला जा सकता है। उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण से पीड़िता अवयस्क होना प्रमाणित नहीं है। अतः उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन अपने भाग का सिद्धि दायित्व उन्मोचित कर पाने में असफल रहा है, इस कारण प्राविधिक उपधारणाओं के आधार पर भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है। अभियोजन साक्ष्यों में आई संदेहास्पद परिस्थितियों का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित है। अतः स्पष्ट है कि अभियोजन अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है।

60. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त शिवाजी पिता हीरामन महाजन ने घटना दिनांक 13.04.2025 को 7:00 बजे से 7:20 बजे के मध्य फरियादिया का घर कोदरी अंतर्गत थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत 16 वर्ष से कम आयु की बालिका/अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर व्यपहरण कारित कर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता/संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध करने के लिए या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए उसका व्यपहरण या अपहरण किया व उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना व्यपहरण या अपहरण कर उस पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उसे शाहपुर से बस में बिठाकर बुरहानपुर एवं बुरहानपुर से ट्रेन में बिठाकर मुम्बई ले जाकर उसके साथ उसकी

ईच्छा के विरूद्ध एवं सहमति के बिना एक से अधिक बार सम्भोग कर बलात्संग किया एवं उक्त बालिका/अभियोक्त्री का व्यवहरण या अपहरण कर उसके साथ एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर ''गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया।

61. अतः उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण एवं निकाले एक निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अभियुक्त शिवाजी पिता हीरामन महाजन के विरूद्ध धारा 137(2), 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 65(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, परिणामतः अभियुक्त शिवाजी पिता हीरामन महाजन, उम्र–25 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 15 कोदरी, थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर (म.प्र.) को धारा 137(2), 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 65(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित कर प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है। अभियुक्त अभिरक्षा में है, अविलम्ब रिहाई आदेश जारी हो।

62. अभियुक्त का न्यायिक निरोध की अवधि के संबंध में धारा 468 बीएनएसएस के अंतर्गत निरोध अवधि प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

63. उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण से पीड़िता का अवयस्क होना प्रमाणित नहीं है। पीड़िता सक्षम पक्षकार होना निष्कर्षित रही है। अतः उक्त संपूर्ण परिस्थितियों में पीड़िता उचित प्रतिकर प्राप्त करने की पात्र नहीं है। अतः प्रतिकर प्रदान करने अनुशंसा नहीं की जाती है।

64. प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल पीड़िता का पेटीकोट, प्यूबिक हेयर, जैवाईनल स्लाईड, रक्त नमूना, नमूना सील एवं अभियुक्त शिवाजी की अंडरवियर, सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, रक्त नमूना एवं नमूना सील को मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय अपीलीय

न्यायालय में अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार मुद्देमाल का निराकरण किया जावे।

65. प्रकरण में जप्त अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्र.पी. 7सी, अभियोक्त्री का जन्म संबंधी स्कूल का प्रमाण पत्र प्र.पी. 8 अभिलेख का भाग है। अतः अभिलेखागार में अभिलेख के भाग के रूप में जमा किया जावे। अपील होने पर इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय विनिश्चय का पालन किया जावे।

66. प्रकरण में संलग्न डीवीडी एक इलेक्ट्रानिक दस्तावेज है, अतः उसे अभिलेख के साथ ही संलग्न किया जावे।

67. यह आदेशित किया जाता है कि बालिका का नाम, पता फोटोग्राफ तथा परिवार की जानकारी एवं ऐसी अन्य विशिष्टियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी प्रकाशन न किया जाए, जिससे बालिका की पहचान प्रकट हो सके।

68. निर्णय की प्रतिलिपि विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर को भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित।

(इन्दु कान्त तिवारी)
विशेष न्यायाधीश,
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

INDU KANT TIWARI
Digitally signed by INDU KANT TIWARI
Date: 2026.07.13 17:20:06 +0530

(इन्दु कान्त तिवारी)
विशेष न्यायाधीश,
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडादेश	धारा 468 बीएनएसएस के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि

पुरूष	शिवाजी	04.05.2025 न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का दिनांक 07. 05.2025	—	धारा 137(2), 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 65(1) बीएनएस एवं धारा 5(l)/6 पॉक्सो एक्ट	दोषमुक्त	निरंक	दिनांक 07.05.2025 से निर्णय दिनांक 13. 07.2026 तक

प्रारूप—ङ

अपराध की तारीख	13.04.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	13.04.2025
अभियोग पत्र की तारीख	07.07.2025
आरोपो के विरचना की तारीख	11.07.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	07.08.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	13.07.2026
निर्णय की तारीख	13.07.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

प्रारूप—च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क.—अभियोजन :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—01	पीड़िता की माता	रिपोर्टकर्ता साक्षी
अ.सा.—02	पीड़िता स्वयं	पीड़ित साक्षी
अ.सा.—03	मो. जावेदउद्दीन, माध्यमिक शिक्षक	पीड़िता की जन्म तिथि संबंधी साक्षी
अ.सा.—04	पीड़िता के नाना	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा.—05	पीड़िता के पिता	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा.—06	पीड़िता के मामा	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा.—07	रजनी सोलंकी, महिला आर.	पीड़िता को अस्पताल ले जाने की साक्षी

अ.सा.–08	डॉ. ममता परदेशी	महिला चिकित्सक साक्षी
अ.सा.–09	रवि जमरे, आरक्षक	आरोपी को अस्पताल ले जाने का साक्षी
अ.सा.–10	डॉ. छोटुसिंह	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.–11	पुरूषोत्तम विश्वकर्मा, स.उ.नि.	पीड़िता एवं आरोपी के आर्टिकल जप्तीकर्ता
अ.सा.–12	शैलेन्द्र सोलंकी, आरक्षक	प्रयोग शाला में नमूने एवं ड्राफ्ट जमाकर्ता साक्षी
अ.सा.–13	सोहनसिंह चौहान, उपनिरीक्षक	प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गुम इंसान रिपोर्ट लेखबद्धकर्ता साक्षी
अ.सा.–14	किरण ठाकुर, उपनिरीक्षक	पीड़िता के कथन एवं मेडिकल परीक्षण कराने की साक्षी
अ.सा.–15	अजयसिंह चौहान, उपनिरीक्षक	विवेचक/अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा.–16	दिलीपसिंह, सहा. उपनिरीक्षक	पीड़िता को दस्तयाब करने का साक्षी

ख.– प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो :– निरंक

ग.– न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो :– निरंक

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची</u>

क.–अभियोजन :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	गुम इंसान रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी–3	घटना स्थल का नक्शामौका
4	प्रदर्श पी–4	पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हेतु सहमति पत्र
5	प्रदर्श पी–5	पीड़िता का सुपुर्दगी पंचनामा
6	प्रदर्श पी–6	पीड़िता का दस्तयाबी पंचनामा
	प्रदर्श पी–6	पीड़िता से संबंधित स्कूल को जारी पत्र
7	प्रदर्श पी–7	मूल दाखिल खारिज रजिस्टर
	प्रदर्श पी–7सी	दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति
8	प्रदर्श पी–8	पीड़िता का स्कूल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
9	प्रदर्श पी–9	आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक

10	प्रदर्श पी—10	पीड़िता का आर्टिकल का जप्ती पत्रक
11	प्रदर्शी पी—11ए	पीड़िता का मुलाहिजा फार्म
	प्रदर्शी पी—11	पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी—12	पीड़िता का रक्त नमूना प्रमाणन फार्म
	प्रदर्श पी—12ए	आरोपी का आर्टिकल का जप्ती पत्रक
13	प्रदर्श पी—13ए	आरोपी का मुलाहिजा फार्म
	प्रदर्श पी—13	आरोपी की एमएलसी रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी—14	आरोपी का रक्त नमूना प्रमाणन फार्म
15	प्रदर्श पी—15	प्रयोग शाला को प्रेषित ड्राफ्ट की प्रति
16	प्रदर्श पी—16	ड्राफ्ट जमा रसीद
17	प्रदर्श पी—17	आरोपी का गिरफ्तारी सूचना पत्र
18	प्रदर्श पी—18	डीएनए परीक्षण रिपोर्ट
19	प्रदर्श पी—19	धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधि. का प्रमाण पत्र
20	प्रदर्श पी—20	धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधि. का प्रमाण पत्र
21	प्रदर्श पी—21	ई—साक्ष्य एप के माध्यम से प्राप्त धारा 63(4)(स) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र

ख.—प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूची :— निरंक

ग.—न्यायालयीन प्रदर्श की सूची :— निरंक

घ.— आवश्यक वस्तुएं :— डीवीडी आर्टिकल ए.—1

INDU KANT TIWARI
Digitally signed by INDU KANT TIWARI
Date: 2026.0[illegible] 17:20:15 +0530

(इन्दु कान्त तिवारी)
विशेष न्यायाधीश,
(लैंगिक अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम, 2012)
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)